कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 1104 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 12 / 9 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से रंगथरा–मजगॉव–चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/17945/2015)**

सन्दर्भ:– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 783/x-4-16/1(222)/2016 दिनांक 21.जुलाई.2016।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद बागेश्वर में **जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से रंगथरा–मजगॉव–चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.1 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.10 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 04,83,634.20 मात्र (रू0 चार लाख तिरासी हजार छः सौ चौतीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR 617082059019 Dtd 23.03.2017 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न–01)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.10 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 27/छब्बीस– वन/2016–17 दिनांक 29.10.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।**(संलग्नकः–02)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संसोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु 6,90,624 मात्र (रू0 छः लाख नब्बे हजार छः सौ चौबीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR 617082059019 Dtd 23.03.2017 द्वारा किया जा चुका है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR 52017110900008058 Dtd 10.11.2017 द्वारा रू0 6,89,850.00 मात्र (रू0 छः लाख नवासी हजार आठ सौ पचास मात्र) जमा की जा चुकी है **(सलग्न 01 के अनुसार)**।
4	पयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)**(संलग्न–3)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0

	रिट पिटीशन (सिविल) 202/195 के [अन्त]र्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार [की] सख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक [0]5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार [ए]न0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ की धनाराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय,कार्पोरिशन बैंक ऑनलाइन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑनलाइन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि SBINR 52017110900008058 Dtd 10.11.2017 द्वारा रू0 18,64,108.20 मात्र (रू0 आठ लाख चौसठ हजार एक सौ आठ मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अुनसार)**।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिको के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिको के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिका अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखा/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिका अधिनियम 2006 के आवश्यक अभिलेखा/प्रमाण संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	बिन्दु संख्या 08 हेतु प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	बिन्दु संख्या 09 हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है।

<u>**संलग्न–चार प्रतियों में**</u>

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर